म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26-अरेरा हिल्स किसान भवन भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण/46/93/विविध/अतिक्रमण/1393 भोपाल, दिनांक 05/05/2025

प्रति,

कलेक्टर

जिला-.....................(समस्त)

विषय- प्रदेश की कृषि उपज मण्डी/उपमण्डी समितियों में अतिक्रमण हटाये जाने बावत।

संदर्भ- 1) कार्यालयीन पत्र क्रमांक-1530-1531 दिनांक 11/05/2023 एवं 628 दिनांक 18.09.2024

2) मान. मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन से प्राप्त ई-मेल आवक क्रमांक 815 दिनांक 21.03.2025

विषयान्तर्गत पत्र का संदर्भ ग्राहय करें, जिसके द्वारा कृषको एवं व्यापारियों की सुविधा हेतु प्रदेश की कृषि उपज मण्डी व उपमंडी प्रांगणों की भूमि पर प्रवेश/निकास द्वार के समीप अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने तथा मण्डी की भूमि को राजस्व अभिलेखों मे इन्द्राज किये जाने आदि विषयों पर संज्ञान लेने हेतु अनुरोध किया गया था।

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी प्रांगणों तथा प्रांगणों के आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण से न केवल कृषि विपणन के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, वरन क्षेत्र की यातायात व्यवस्था पर भी व्यवधान उत्पन्न होता है। वर्तमान में मण्डियों में भारसाधक अधिकारी के रूप में राजस्व अधिकारी पदस्थ है। ऐसी स्थिति में मण्डी से संबंधित राजस्व प्रकरणों यथा अभिलेख में मण्डी के नाम की प्रविष्टि के संबंध में त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा है।

उपरोक्त अनुक्रम में आपके जिले के मण्डी प्रांगणों/उपमण्डी प्रांगणों का भौतिक सर्वे कराते हुये अतिक्रमण/कब्जों को चिन्हाकन कर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही करने बावत् राजस्व अमले/पुलिस प्रशासन को पाबंद कराते हुये साप्ताहिक समय-सीमा के एजेण्डे में इस विषय को सम्मिलित करना चाहेंगे, ताकि सतत् समीक्षा होने से मण्डियों में हुए अतिक्रमण को हटाये जाने की प्रभावी कार्यवाही हो सके।

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण/46/93/विविध/अतिक्रमण/1394 भोपाल, दिनांक 05/05/2025

<u>प्रतिलिपि</u> :-

1- संभाग आयुक्त(राजस्व), संभाग............(समस्त)।

2- अवर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन।

3- संयुक्त संचालक/कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय...............(समस्त) को निर्देशित किया जाता है कि विषय संदर्भ में व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों से सम्पर्क करते हुये ठोस कार्यवाही की जाकर प्रतिवेदन साप्ताहिक रूप से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जाये।

4- भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति...........(समस्त) की ओर पालनार्थ।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल